(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 2020

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) के टैरिफ शीर्षक 2933 के अंतर्गत आता है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/32/2019-डीजीटीआर, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, जिसे दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने प्राथमिक निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि -

(i) पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में इसके उत्पादन और उपभोग की भी दृष्टि से विषयगत देश से इस विषयगत वस्तु के आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है;

(ii) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को किया गया निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर हुआ है;

(iii) इसके घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iv) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले विषयगत वस्तु के पाटित आयात के कारण हुई है;

और अतः उन्होंने नीचे दी गई सारणी के कॉलम (7) में उल्लिखित राशि और इसके अवतरण मूल्य के बीच अंतर के बराबर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट

है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि और उक्त वस्तु के अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते की अवतरण मूल्य कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट राशि से कम हो, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	**टैरिफ शीर्षक**	**वस्तु का विवरण**	**मूलत: उत्पादक देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	2933	1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	5.01	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	2933	1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	5.01	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3.	2933	1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	5.01	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. लगाया गया अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ: महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण 1.- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और

इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

स्पष्टीकरण 2.- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए किसी आयात का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल होंगे ।

[फाइल संख्या 354/52/2020 -टीआरयू)]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार